

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/11/2023	<p>पेश हुई</p> <p>द्वारा द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया अतः पत्रांक 15/11/2024 को पेश है।</p>
16/11/24	<p>फिलॉक 15/11/24 का श्रीमान जज के द्वारा अवकाश अवधि होने पर फ्रा. उपाय पेश हुई। अधिवक्तागणी द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाने से पत्रा. फिलॉक 15/11/24 को पेश है।</p>
19/2/24	<p>द्वारा द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया अतः पत्रांक 21/2/24 को पेश है।</p>
21/2/24	<p>द्वारा द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया अतः पत्रांक 26/2/24 को पेश है।</p>
26/3/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उरीकेन उपस्थित। प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 ब 11 संपर्कित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की वकालत सुनी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी वकालत में बताया कि वादग्रह आरजी के संबंध में राजस्व न्यायालय अवालीमों में प्रकरण नं. 20/2021 (2021/150) राजस्व न्यायालय अवालीमों कोर्ट में प्रकरण संख्या 157/10 में</p>

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
 02-6-2016 के निर्णय की  
 22-6-2016 के निर्णय की  
 आधिकारी  
 29-7-2017 के  
 कुनवाले

02.6.2016 के निर्णय की अपील संख्या  
226/2016 व 09/2017 पर राष्ट्रिय अपील  
अधिकारी कार्य के दिर्णय दिनांक  
27.7.2017 के संदर्भ में रिमाण्ड होकर  
सुनवाई के लिए जाल हुआ है एवं न्यायालय  
में विचाराधीन है। इसी वादग्रस्त आराधी  
एवं पक्षकारों के महम राष्ट्रिय न्यायालय  
अवानीमल्ली में प्रकरण संख्या 2021/166  
(2021/162) अर्जुन सिंह बनाम छीतरलाल  
विचाराधीन है। अतः CPC की धारा 10,11  
के तहत प्रकरण संख्या 2023/62 (26/23)  
एवं 2021/166 (2021/162) को समाप्त करके  
विचाराधीन प्रकरण 2021/50 (20/21)  
पर सुनवाई कर सुनावण के अख्यार  
पर निर्णय। डिहरी जारी करने का निवेदन  
किया। प्रतिवादी के प्राप्ता की बहस पर  
वादी वकील द्वारा बताया गया कि 2021/50  
(20/21) प्रकरण विचाराधीन होने एवं इसमें  
राष्ट्रिय कश्त अधि. धारा 53 सम्मिलित नहीं  
होने के कारण प्रतिवादी का प्रावण स्वारिष /  
निस्त प्रमाया जावे। पत्रावली को अवलोकण  
किया गया पक्षकारों की बहस पर मनन किया  
गया। राष्ट्रिय न्यायालय अवानीमल्ली में  
विचाराधीन प्रकरण 2021/50 (20/21) में  
वादग्रस्त आराधी व पक्षकारों की समानता  
हित प्रकरण संख्या 2021/166 (2021/162)  
व 2023/62 (26/23) के वादग्रस्त आराधी

राष्ट्रीय  
दस्ता

दस्ता या कार्यवाही या प्रमाणितना नाम

के सम्मान में। विद्यारथीन प्रकरण  
२०२१/५० (२०/२१) के प्रकरण द्वारा  
गणराज्य भारती के विधान में  
में प्रतिकर अथ विद्यारथीन प्रकरण  
प्रतीति का प्राप्ति कार १०, ११, १५।  
प्रकार संख्या २०२३/१६२ (२६/२३)  
अनुसिंह बनाम रामकन्या बोर्डिंग  
२०२१/१६६ (२०२१/१६२) अनुसिंह  
बनाम खीरलाल पर अतिवही इमी  
रत पर बंद करने नाम प्रकरणों  
की प्रवर्तकों की व्याख्या में  
विद्यारथीन प्रकरण सं. २०२१/५०  
प्र. १११ रामकन्या बोर्डिंग बनाम खीरलाल  
के साथ संबन्ध करे। प्रकरण २०२३/६२  
का वारी अनुसिंह विद्यारथीन  
प्रकरण २०२१/५० (२०/२१) में प्रकरण  
अनकर अथवा प्रकरणों। प्रवर्तकी  
नकर में कम लेकर प्रवर्तकों में शुभार  
एकर बाद नामित प्रवर्तकी गतिव  
प्रकार है।

राष्ट्रीय  
दस्ता